कार्यालय नगर पर्षद, आदित्यपुर

परमिट संख्या : 723 दिनांक : 25.05.12

सेवा में,
M/s Heaven India Realtech Ltd.
Mr. R. K. Sinha (Director)
Jai Prakash Udhyan, Adityapur

महाशय,

आर० एस० प्लॉट सं० 873, 855, 874(पार्ट) खाता सं० 62, 199, 44(पार्ट) मौजा डिन्डली थाना सं० 128 पर भवन निर्माण हेतु आपके द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में G (Parking) + 7 भवन प्लान की स्वीकृति निम्न शर्त्तों पर दी जाती है:--

1. स्वीकृत भवन प्लान से किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या इसकी उपयोगिता में मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भवन की ऊँचाई/मंजिल की संख्या में वृद्धि नहीं होगी जबतक इसकी विधिवत् स्वीकृति नहीं ली जायेगी।
2. निर्माण की गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रूपांकरण एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञप्तिधारी अभियंता के साथ--साथ निर्माणकर्त्ता पर होगी।
3. भुखण्ड के सामने चाहरदीवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेवमेंट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम के अनुसार किया जायेगा।
4. निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना नगर पर्षद, आदित्यपुर कार्यालय को देनी होगी तथा प्लींथ/भूमि तल पर कार्य आने के पश्चात् इसकी जाँच (दस दिनों के अन्दर) कराने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जायेगा।
5. निर्माणकर्त्ता को समुचित जल आपूर्त्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
6. निर्माणकर्त्ता को निजी ट्रांसफरमर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ध्वनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।
7. अग्निशमन विभाग के पत्रांक 20 दि० 1-2-11 द्वारा दिये गये सुझावों को अनुपानल सुनिश्चित करना होगा। प्रत्येक तल पर पर्याप्त क्षमता का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा। यदि अग्निशमन विभाग द्वारा कभी कोई विशेष निर्देश दिया जाता है तो उसका पालन करना होगा।
8. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित रूप से करना होगा।
9. भवन निर्माण पूर्ण होने पर Completion Certificate के साथ नगर पर्ष,द आदित्यपुर को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त किये बिना भवन में Occupancy नहीं दी जा सकेगी।
10. आदित्यपुर बिल्डंग बाईलॉज एवं झारखण्ड अपार्टमेंन्ट अधिनियम 2005 के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।
11. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर भूमि मालिक का नाम, निर्माणकर्त्ता का नाम, प्लॉट एवं खाता संख्या, रकबा, स्वीकृत भवन प्लान की परमिट संख्या, कुल स्वीकृत तल एवं कुल स्वीकृत फ्लैट्स आदि का विवरन देना होगा। साथ ही क्रेता को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
12. भवन प्लान की स्वीकृति प्रति प्राप्त करने के पूर्व आवेदक, निर्माणकर्त्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी अभियन्ता को उपरोक्त शर्त्तों के आशय का एक शपथ पत्र देना होगा।
13. विकासकर्त्ता/संवर्धन/स्थलधारी को झारखण्ड आपर्टमेन्ट सम्पत्ति विनियम एवं स्वामित्व अधिनियम 2005 के अनुकूल विहति सुविधायें निर्मित भवन में प्रदान करनी होगी।
14. जमीन संबंधी किसी तरह का विवाद (यथा छोटनानागपुर कास्तकारी अधिनियम, वन भूमि, सरकारी भूमि या किसी अन्य व्यक्ति के कागजी तौर पर अधिकार क्षेत्र में) उत्पन्न होने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
15. भवन पर तड़ित चालक का व्यवस्था करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त तथ्यों का अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश किसी भी समय रद्द कर दिया जायेगा एवं संबंधित भवन निर्माता पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

अनु० - पत्रांक 20 दि० 1-2-11 (दमकल-पत्र)

ह० 25/5/12
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पर्षद, आदित्यपुर

25/05/12

कार्यालय नगर पर्षद, आदित्यपुर

परमिट संख्या : 638 दिनांक : 23/5/13

सेवा में,

M/s Heaven India Realtech Ltd. (Om Sai Block)
(Director) Mr.R.K.Sinha,S/o Late Shivnandan Prasad.
Heaven Tower,Jai Prakash Udhyan,Adityapur.

महाशय,

प्लॉट सं० **(N) 1385 (P),1386(P)** खाता सं० **(N) 90** मौजा. **Dindli** थाना सं० **128** पर भवन निर्माण हेतु आपके द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में **Gr. (Parking) + 1st to 7th floor** आवासीय भवन प्लान की स्वीकृति निम्न शर्त्तो पर दी जाती है:--

1. स्वीकृत भवन प्लान से किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या इसकी उपयोगिता में मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भवन की ऊँचाई/मंजिल की संख्या में वृद्धि नहीं होगी जबतक इसकी विधिवत् स्वीकृति नहीं ली जायेगी।
2. निर्माण की गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रूपांकरण एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञप्तिधारी अभियंता के साथ--साथ निर्माणकर्त्ता पर होगी।
3. भुखण्ड के सामने चाहरदीवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेवमेंट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम के अनुसार किया जायेगा।
4. निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना नगर पर्षद, आदित्यपुर कार्यालय को देनी होगी तथा प्लींथ/भूमि तल पर कार्य आने के पश्चात् इसकी जाँच (दस दिनों के अन्दर) कराने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जायेगा।
5. निर्माणकर्त्ता को समुचित जल आपूर्त्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी परन्तु डीप बोरिंग नहीं करनी होगी।
6. निर्माणकर्त्ता को निजी ट्रांसफरमर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ध्वनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।
7. अग्निशमन विभाग के पत्रांक 693 दि० 09.04.2013 द्वारा दिये गये सुझावों को अनुपानल सुनिश्चित करना होगा। प्रत्येक तल पर पर्याप्त क्षमता का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा। यदि अग्निशमन विभाग द्वारा कभी कोई विशेष निर्देश दिया जाता है तो उसका पालन करना होगा।
8. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित रूप से करना होगा।
9. पानी निकासी तथा नाली की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। Main Swear से connection सुनिश्चित करना होगा। Sewerage plant स्थापित करने पर सार्वजनिक जल श्रोत (यथा जल उदगम, जलधारा, तालाब आदि) का पानी दुषित न हो इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
10. भवन निर्माण पूर्ण होने पर Completion Certificate के साथ नगर पर्ष,द आदित्यपुर को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त किये बिना भवन में Occupancy नहीं दी जा सकेगी।
11. आदित्यपुर बिल्डीग बाईलॉज एवं झारखण्ड अपार्टमेंन्ट अधिनियम 2005 के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।
12. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर भूमि मालिक का नाम, निर्माणकर्त्ता का नाम, प्लॉट एवं खाता संख्या, रकबा, स्वीकृत भवन प्लान की परमिट संख्या, कुल स्वीकृत तल एवं कुल स्वीकृत फ्लैट्स आदि का विवरन देना होगा। साथ ही क्रेता को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
13. भवन प्लान की स्वीकृति प्रति प्राप्त करने के पूर्व आवेदक, निर्माणकर्त्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी अभियन्ता को उपरोक्त शर्त्तो के आशय का एक शपथ पत्र देना होगा।
14. विकासकर्त्ता/संवर्धन/स्थलधारी को झारखण्ड आपर्टमेंन्ट सम्पत्ति विनियम एवं स्वामित्व अधिनियम 2005 के अनुकूल विहति सुविधायें निर्मित भवन में प्रदान करनी होगी।
15. जमीन संबंधी किसी तरह का विवाद (यथा छोटनानागपुर कास्तकारी अधिनियम, पहुँच पथ वन भूमि, सरकारी भूमि, सरकारी/रैयती तालाब या किसी अन्य व्यक्ति के कागजी तौर पर अधिकार क्षेत्र में) उत्पन्न होने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
16. भवन पर तड़ित चालक का व्यवस्था करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त तथ्यों का अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश किसी भी समय रद्द कर दिया जायेगा एवं संबंधित भवन निर्माता पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

23/5/13

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पर्षद, आदित्यपुर
Anup 23/5/13

अनु० अग्निशमन विभाग का
पत्रांक 754 दि० 08.05.2013 (छाया प्रति)

कार्यालय, नगर पर्षद, आदित्यपुर

(झारखण्ड अधिनियम 04, 2012)

शहरी क्षेत्र में किये गये अनाधिकृत/विचलित निर्माण को चक्रवृद्धि शुल्क के माध्यम से नियमितीकरण हेतु झारखण्ड अधिनियम 2012 के आधार पर नियमितीकरण

पत्रांक 1155

दिनांक 21.08.12

सेवा में,

Heaven India Real Tech Limited
Mr. R.K.Sinha
Heaven Tower
Adityapur

महाशय,

आपके द्वारा प्लॉट संख्या (O) 1380, 1385(P), 1386(P), 1382, (N) 875, 874, 868(P), 864 , एवं खाता सं0 (O) 90, (N) 76, 44, 201 मौजा दिन्दली में निर्मित RADHA and BALAJEE Apartment हेतु झारखण्ड अधिनियम 04, 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमितीकरण के आवेदन के आलोक में राधा ब्लॉक में आच्छादित क्षेत्र में विचलन एवं विचलित 6th Floor एवं Part 7th Floor को तथा बालाजी ब्लॉक में आच्छादित क्षेत्र में विचलन एवं विचलित Basement, 6th Floor एवं 7th Floor को निम्नलिखित शर्तों पर नियमित किया जाता है –

1) इस योजना के अन्तर्गत नियमितीकरण का अवसर एक बार ही देय है इसलिये अपार्टमेन्टों में अब किसी भी प्रकार का विचलन नहीं किया जाय।

2) अधिनियम के धारा–9 के आलोक में अग्निशमन पदाधिकारी के परामर्श के अनुसार 6 माह के अन्दर अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था/उपकरणों को स्थापित करना सुनिश्चित करेगें तथा अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को निश्चित रूप से समर्पित करेंगें, ऐसा नहीं करने पर इस आदेश को निरस्त किया जा सकता है।

3) अधिनियम के धारा–9 के आलोक में भवन में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था 6 माह के अन्दर कायम करेंगें तथा इस कार्यालय को इस आशय की सूचना समर्पित करेंगें ऐसा नहीं करने पर इस आदेश को निरस्त किया जा सकता है।

Executive Officer
कार्यपालक पदाधिकारी
Municipal Council, Adityapur
नगर पर्षद, आदित्यपुर
21/8/12